जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 994 दि. 05.09.19

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के सम्बन्ध में।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि के रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान के उद्देश्य से **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** निम्न प्रावधानों के अनुसार 1 सितम्बर, 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगी।

1 ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा / खेत / परिसर / मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़ाते है, उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा, यधपि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत है एवं कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।

2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि (रू. 15/– प्रति एच. पी. प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जावेगा।

3 यदि मद 2 में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुये भार पर कृषि नीति (आर.ई.ओ.–234) के अनुसार राशि वसूली जावेगी।

4 दो वर्ष तक कटे हुये कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

5 योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी. लाइन एवं सब–स्टेशन का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

6 यह योजना 31 अगस्त, 2019 तक जारी कृषि कनेक्शनो पर लागू होगी।

उक्त **"स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"** लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वी.सी.आर. भरी जा चुकी है तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जावेगी। उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की समाप्ति (30 नवम्बर, 2019) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

यह आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम 917 दिनांक 13-08-19 को अधिक्रमण में जारी किया गया है।

आज्ञा से

05/9/19

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर